

¹अध्याय 4

प्रदाय के मूल्य का अवधारण

नियम 27 : माल और सेवाओं की प्रदाय का मूल्य, जहां प्रतिफल धन में नहीं है

जहां माल या सेवाओं की प्रदाय ऐसे प्रतिफल के लिए है, जो पूर्णतः धन में नहीं है, वहां प्रदाय का मूल्य,

- (क) ऐसी प्रदाय का खुला बाजार मूल्य होगा;
- (ख) यदि खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो धन में प्रतिफल की कुल रकम और धन की ऐसी और रकम होगा, जो ऐसे प्रतिफल के समतुल्य है, जो धन में नहीं है, यदि ऐसी रकम प्रदाय के समय ज्ञात है;
- (ग) यदि प्रदाय का मूल्य खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अवधार्य नहीं है, तो उसी प्रकार और उसी क्वालिटी की माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य होगा;
- (घ) यदि मूल्य खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन अवधार्य नहीं है, तो धन में प्रतिफल की कुल राशि और धन में ऐसी और रकम होगा, जो नियम 30 या नियम 31 के लागू किए जाने से उस क्रम में यथा अवधारित ऐसे प्रतिफल के समतुल्य है, जो धन में नहीं है।

दुष्टांत :

- (1) जहां किसी फोन की प्रदाय एक पुराने फोन के विनिमय के साथ बीस हजार रुपए में की जाती है और यदि नए फोन की कीमत विनिमय के बिना चौबीस हजार रुपए है, तो नए फोन का खुला बाजार मूल्य चौबीस हजार रुपए है।
- (2) जहां किसी लैपटाप की प्रदाय ऐसे प्रिन्टर की अदला-बदली के साथ चालीस हजार रुपए है, जो कि प्राप्तिकर्ता द्वारा विनिर्मित है और प्रदाय के समय प्रिन्टर का ज्ञात मूल्य चार हजार रुपए है किन्तु प्रिन्टर का खुला बाजार मूल्य ज्ञात नहीं है, वहां लैपटाप की प्रदाय का मूल्य चवालीस हजार रुपए है।

¹ अधिसूचना क्रमांक 10/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2017 द्वारा अध्याय 4 से 16 सहपठित नियम 27 से 138 अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।